मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

राजाभोज मार्ग (कोलार रोड़)

भोपाल

प्रबंध बोर्ड की 41 वीं बैठक

दिनांक : 28.7.2009

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे

कार्यवृत्त

प्रबंध बोर्ड की 41 वीं बैठक दिनांक 28 जुलाई, 2009 को पूर्वान्ह 11.00 बजे प्रो0 (डॉ0) एस0के0सिंह, कुलपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही ।

(1)	प्रो0 (डॉ0) एस0के0सिंह, कुलपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल	-	अध्यक्ष
(2)	प्रो0 एम0एस0पाल खुराना, कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	-	सदस्य
(3)	प्रो0 मंजूलिका श्रीवास्तव, निदेशक, दूरस्थ शिक्षा परिषद नई दिल्ली	-	सदस्य
(4)	श्रीमती शीला धोलधोये, सदस्य प्रबंध बोर्ड	-	सदस्य
(5)	श्रीमती विजय लक्ष्मी बारस्कर, उप सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल	-	सदस्य
(6)	डॉ0 आभा स्वरूप, निदेशक, मुद्रण एवं वितरण म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल	-	सदस्य
(7)	डॉ0 शाहबानों अली, रीडर, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल	-	सदस्य
(8)	डॉ0 एम0के0राय, कुलसचिव, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल	-	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया । बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये निम्नानुसार निर्णय लिये गये ।

बिन्दु क्रमांक (41)-1 **प्रबंध बोर्ड की 40 वीं बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार ।**
(संलग्न परिशिष्ट 41-1 पृ0 क्रमांक 14-16)।

निर्णय :- कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

बिन्दु क्रमांक (41)-2 **प्रबंध बोर्ड की 40 वीं बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2009 के कार्यवृत्त पर की गई गई अनुगामी कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण ।**
(संलग्न परिशिष्ट 41-2 पृ0 क्रमांक 17-18)।

निर्णय :- कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

बिन्दु क्रमांक (41)-3 **वित्त समिति की 31वी बैठक दिनांक 15.5.2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार । (संलग्न परिशिष्ट 41-3 पृ0 क्रमांक 19-23)।**

निर्णय :- कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

बिन्दु क्रमांक (41)-4 **विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र राज्य शासन को उनके पत्र के तारतम्य में वापस करने पर विचार ।**

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश ने अपने पत्र क्रमांक शिक्षा-4/प्रशिक्षण/2008-2009/9512 दिनांक 19.2.2009 के द्वारा मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को बंद करने के आदेश दिये गये है तथा वहॉ पदस्थ स्टाफ की सेवायें राज्य शासन को वापस की जाना है । इसी प्रकार परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में उपलब्ध भवन/फर्नीचर/सामग्री को संबंधित जिला अधिकारियों को सौंपा जाना है ।

आदेश के परिपालन में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत स्टाफ की सेवायें राज्य शासन को वापस कर दी गई एवं विश्वविद्यालय द्वारा संविदा पर रखे गये कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई तथा केन्द्रों पर उपलब्ध सामग्री मुख्यालय को सौपे जाने के आदेश जारी कर दिये गये ।

अत: उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :- की गई कार्यवाही को अनुमोदित किया गया ।

बिन्दु क्रमांक (41)-5 **परिनियम क्रमांक 20 कनवोकेशन का अनुमोदन**

विश्वविद्यालय में माह अक्टूबर, 2009 में कनवोकेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है । कनवोकेशन का विश्वविद्यालय में अभी तक कोई परिनियम निर्मित नही है । विश्वविद्यालय द्वारा अन्य विश्वविद्यालय के कनवोकेशन अध्यादेश का अध्ययन कर नवीन परिनियम क्रमांक 20 कनवोकेशन तैयार किया गया है प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

STATUTE – 20

CONVOCATION

1) A convocation for conferring its Degrees Diplomas and other academic distinctions may be held by the University not more than once a year.

2) A special convocation may be held by the University with the prior approval of the Kulahdhipati.

3) A local convocation may be held at each regional centre on such date and such time as the Regional Director may with the prior approval of the Kulpati in writing appoint.

4) The procedure to be observed at the convocation referred to in this statute and other matter connected therewith shall be such as may be laid down in the ordinances.

निर्णय :- प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

बिन्दु क्रमांक (41)-6 अध्यादेश क्रमांक 88 कनवोकेशन का अनुमोदन एवं कनवोकेशन में होने वाले व्यय की स्वीकृति हेतु कुलपति को अधिकृत करने संबंधी ।

विश्वविद्यालय में माह अक्टूबर, 2009 में कनवोकेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है । कनवोकेशन का विश्वविद्यालय में अभी तक कोई अध्यादेश निर्मित नही है । विश्वविद्यालय द्वारा अन्य विश्वविद्यालय के कनवोकेशन अध्यादेश का अध्ययन कर नवीन अध्यादेश

क्रमांक 88 कनवोकेशन तैयार किया गया है जो कि परिशिष्ट क्रमांक (41)-6 पर प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :- अनुमोदित के साथ मा0 महामहिम कुलाधिपति एवं समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु भेजने की अनुशंसा की गई ।

बिन्दु क्रमांक (41)-7 परिनियम क्रमांक 8 में संशोधन, नवीन विभागों का गठन एवं विभागों में शैक्षणिक पदों का सृजन ।

विश्वविद्यालय के परिनियम में निम्नलिखित ग्यारह विभागों का प्रावधान है ।

1- Department of Planning Training & Extension

2- Department of Vocational Programme

3- Department of Business Management & Entrepreneurship

4- Department of Computer, Computational Mathematics & Communication

5- Department of Nursing & Health Sciences

6- Department of Technology

7- Department of Student Support

8- Department of Admission and Evaluation

9- Department of Academic Coordination

10- Department of Printing and Translation

11- Department of Multimedia Education

उक्त विभागों में कई विभाग ऐसे है जो शैक्षणिक विभागों की श्रेणी में नही आते है इस कारण इनकी बोर्ड ऑफ स्टडीज गठित करना संभव नही है । साथ ही कुछ विभाग ऐसे है जो कि शिक्षा के आधुनिक परिदृश्यों एवं मॉग की पूर्ति नही कर पा रहे है । अतः सभी विभागों का पुर्नगठन आवश्यक है । उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये परिनियम क्रमांक 10 में उल्लेखित 11 विभागों के अतिरिक्त निम्न विभाग प्रस्तावित किये जाते है ।

12. Department of History

13. Department of Botany

14. Department of Chemistry
15. Department of Commerce
16. Department of Economics
17. Department of English
18. Department of Geography
19. Department of Hindi
20. Department of Social Work
21. Department of Journalism & Mass Communication
22. Department of Law
23. Department of Library Science
24. Department of of Mathematics
25. Department of Physics
26. Department of Political Science
27. Department of Sanskrit
28. Department of Sociology
29. Department of Zoology
30. Department of Engineering and Computer Science

उपर्युक्त विभागों में 01 प्रोफेसर, 01 रीडर एवं 01 असिस्टेंट प्रोफसर के पद सृजित किया जाना प्रस्तावित है साथ ही उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक उक्त पदों के विरुद्व कंसल्टेंट नियुक्त किये जा सकेंगे ।

प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ एवं स्वीकारार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :- अनुमोदन के साथ स्वीकृति प्रदान की गई ।

बिन्दु क्रमांक (41)-8 परिनियम क्रमांक 9 में संशोधन ।

विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 9 के अंतर्गत शैक्षणिक विभागों में नियुक्ति का

प्रावधान है । उक्त परिनियम की विभिन्न कंडिकाओं में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये परिवर्तन किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है । अत: परिनियम क्रमांक 9 का संशोधित नवीन परिनियम एवं नवीन परिनियम क्रमांक 9 ए परिशिष्ट क्रमांक (41)-8 में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :- प्रस्तुत परिनियम क्रमांक 9 ए में बिन्दु क्रमांक 6 में 30 के स्थान पर 20 अंक एवं बिन्दु 7 में 20 के स्थान पर 30 अंक के संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गई ।

बिन्दु क्रमांक (41)-9 अध्यादेश क्रमांक 13 में संशोधन एवं अध्यादेश क्रमांक 12 के स्थान पर नवीन अध्यादेश ।

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 13 बोर्ड ऑफ स्टडीज के पैरा 1 (a) में Director of the Department - Chairman का उल्लेख है किंतु विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में डायरेक्टर नियुक्त करना व्यावहारिक नही एवं न ही यह विश्वविद्यालय के वित्तीय हित में है । अत: प्रस्तावित है कि उक्त कंडिका के स्थान पर निम्न कंडिका अंत: स्थापित की जाय यथा-Director/Head of the Department - Chairman. अत: उक्त संशोधन परिनियम क्रमांक 13 में किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है ।

इसी प्रकार अध्यादेश क्रमांक 12 रिसर्च डिग्री प्रोग्राम की विभिन्न कंडिकाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश के तारतम्य में संशोधन किया जाना है । अत: संशोधित नवीन अध्यादेश क्रमांक 12 प्रबंध बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय :- Director/Head/Incharge Head of the Department - Chairman **के संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया ।**

बिन्दु क्रमांक (41)-10 परिनियम क्रमांक 4 वित्त अधिकारी में संशोधन

विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 4 FINANCE OFFICER - EMOLUMENTS AND CONDITIONS OF SERVICE, POWERS DUTIES में वित्त अधिकारी की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया होगी का उल्लेख नही है । अत: उक्त परिनियम में निम्न कंडिका अंत: स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

A- Appointment of Finance Officer

1. Finance officer shall be appointed by the Board of Management on the recommendation of selection committee as provided in section 2 below :-

2. The constitution of selection committee for making recommendations to the board of management will be as under :-

(i) The Kulpati - Chairman
(ii) Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh Department of Higher Education- Member
(iii) An eminent educationist nominated by chancellor - Member

A shall be numbered as B

प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं स्वीकारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय :- अनुमोदित किया गया ।

बिन्दु क्रमांक (41)-11 Centre for Internal Quality Assurance (CIQA) की स्थापना ।

दूरस्थ शिक्षा परिषद नई दिल्ली से Centre for Internal Quality Assurance (CIQA) की स्थापना की गाइडलाइन विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है । इस सेटर की स्थापना के उपरांत इस सेंटर के स्टाफ का व्यय भार दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा वहन किया जावेगा तथा इसकी स्थापना से विश्वविद्यालय में Quality Assurance में काफी मदद मिलेगी एवं यह विश्वविद्यालय के लिये लाभकारी होगा । **(संलग्न परिशिष्ट 41-11 पृ0 क्रमांक)।**

प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ।

निर्णय :- अनुमोदित किया गया ।

बिन्दु क्रमांक (41)-12 कुलपति के अधिकार परिनियम क्रमांक 2 की कंडिका 12 के तहत कुलपति द्वारा 3 माह की अवधि हेतु की गई नियुक्तियों का अनुमोदन ।

विश्वविद्यालय के मल्टीमीडिया विभाग में एन0सी0टी0ई0 के मापदण्डों के अनुसार विभाग की मॉग को पूरा करने हेतु विश्वविद्यालय में निम्नलिखित शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के लिये की गई है ।

एम0एड0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु

1. डॉ0 जी0एन0पी0 श्रीवास्तव, प्राध्यापक, रु0 15000/- प्रतिमाह
2. डॉ0 आर0के0शर्मा, रीडर, रु0 12000/- प्रतिमाह
3. डॉ0 शॉलिनी सक्सेना, व्याख्याता रु0 10,000/- प्रतिमाह
4. डॉ0 कल्पना दीक्षित, व्याख्याता रु0 10,000/- प्रतिमाह

डी0एड0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु

1. डॉ0 सुषमा हुक्कू, विभागाध्यक्ष रु0 12000/- प्रतिमाह
2. श्रीमती अनीता भदौरिया, प्रवाचक रु0 10000/- प्रतिमाह

3. श्रीमती राजकुमारी दीवान, प्रवाचक रु0 10000/- प्रतिमाह
4. श्रीमती सिद्वार्थ शुक्ला, व्याख्याता रु0 8000/- प्रतिमाह
5. श्रीमती योजना लाड, व्याख्याता रु0 8000/- प्रतिमाह
6. श्रीमती विधि नम्रता स्वरूप, व्याख्याता रु0 8000/- प्रतिमाह
7. श्रीमती ज्योति लता मूले, व्याख्याता रु0 8000/- प्रतिमाह
8, श्री चन्द्रकांत पाण्डेय, व्याख्याता, रु0 8000/- प्रतिमाह
9. कु0 एकता गुप्ता, व्याख्याता, रु0 8000/- प्रतिमाह

अत: नियुक्तियॉ प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है साथ ही नियमित नियुक्ति होने तक अथवा छ: माह जो भी पहले तक इन्हें रखा जाना प्रस्तावित है ।

निर्णय :- सूचित किया गया कि कमांक 2, 4, 6, 7, एवं 8 ने कार्यभार ग्रहण न करने के कारण 2 के स्थान पर डॉ0 मयंक श्रीवास्तव, 4 के स्थान पर डॉ0 बसंत कुमार को नियुक्त किया गया है बाकी 6, 7, 8 के कार्यभार ग्रहण नही करने की सूचना दी है । सूचना ग्रहण करते हुये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

बिन्दु कमांक (41)-13 Appointment of retired persons upto age of 70 years.

कृपया नस्ती पर प्रस्तुत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र कमांक F.3-1/94 PS)(Vol. 9) Dated 4 April 2007 and F.No.1-19/2006-U II Dated 23 March, 2007 के पैरा 3 (iii) का अवलोकन करना चाहें जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि -

All persons holding teaching positions against sanctioned posts may also be considered for re-employment beyond 65 years and up to the age of 70 years, against sanctioned vacant posts, if such posts are not filled up by regular candidates. However, such re-employment of the age of 65 years shall be done only after screening at the age of 65 years, under the extant guidelines of the University Grants Commision.

अत: प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त आदेश को विश्वविद्यालय में अंगीकृत कर लिया जावे । प्रकरण प्रबंध बोर्ड के स्वीकारार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :- re-employment **के स्थान पर Contact संशोधन के साथ अनुमति प्रदान की गई।**

बिन्दु कमांक (41)-14 जॉच अधिकारी नियुक्ति एवं उनका मानदेय निर्धारण ।

विश्वविद्यालय में श्री सुनील कनेरिया, स्टेनों के विरुद्व प्राप्त शिकायत की जॉच हेतु Dr. Mohd. Moin Mustazhar सहायक प्राध्यापक, नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट युनिवर्सिटी को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है साथ ही उन्हें विश्वविद्यालय की कुछ जॉचे भी दी जानी है ।

अत: Dr. Mohd. Moin Mustazhar की नियुक्ति की स्वीकृति एवं उनका मानदेय रु0 10,000/- प्रति जॉच तथा रु0 300/- प्रति जॉच दिवस वाहन भत्ता भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ एवं स्वीकारार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :- माइनर जॉच के लिये राशि रु0 5000/- एवं मेजर जॉच के लिये राशि रु0 10000/- मानदेय एवं रु0 300/- प्रति जॉच दिवस के संशोधन के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

बिन्दु क्रमांक (41)-15 विश्वविद्यालय में छठवॉ वेतनमान लागू करने संबंधी ।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा प्रदेश में छठवें वेतनमान लागू करने हेतु आदेश जारी किये गए है । अत: राज्य शासन द्वारा लागू छठवॉ वेतनमान विश्वविद्यालय में यथावत् लागू करने हेतु प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं स्वीकारार्थ प्रस्तुत है । छठवॉ वेतनमान लागू होने पर आने वाला वित्तीय भार विश्वविद्यालय स्वयं अपने स्त्रोतों से वहन करेगा । इससे राज्य शासन पर कोई वित्तीय भार नही आवेगा ।

निर्णय :- छठवें वेतनमान देने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

बिन्दु क्रमांक (41)-16 एडुसेट स्टूडियों पुन: प्रारंभ करने पर होने वाले व्यय की स्वीकृति ।

प्रबंध बोर्ड की 38 वीं बैठक दिनांक 12.12.2008 में प्रबंध बोर्ड को यह सूचित किया गया था कि एजुसेट सेटेलाइट के माध्यम से प्रदेश के 40 अध्ययन केन्द्रों में कक्षाएं संचालित की जा रही थी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण तथा आदिवासी अंचलों के विद्यार्थी लाभान्वित थे अत: विद्यार्थियों के हित में नए हब उपकरणों के क्रय के लिए इसरो द्वारा प्रस्तावित भारत सरकार के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलोर द्वारा कोटेशन प्राप्त किया गया है जिसके अनुसार नए हब उपकरणों के क्रय एवं उनके इंस्टालेशन का व्यय रु0 78,32,838.00 (अठहत्तर लाख बत्तीस हजार आठ सौ अड़तीस) दिया गया था जिसकी स्वीकृति प्रबंध बोर्ड द्वारा प्रदान की गई थी एवं उक्त राशि दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त ग्रांट से किया जाना था । नए हब उपकरणों के क्रय के लिए सत्र 2008-09 में (दूरस्थ शिक्षा परिषद) द्वारा स्वीकृत डबलपमेंट ग्रांट से राशि व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु डेक को पत्र लिखा गया था किन्तु अभी तक उत्तर अपेक्षित है ।

एडूसेट का संचालन अत्यंत आवश्यक है इसलिये भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड से पुन: रिवाइज कोटेशन प्राप्त किया गया है जिसके अनुसार एडुसेट संचालन में लगने वाले उपकरणों की कीमत

राशि रु0 89,88,911/- होगी (संलग्न परिशिष्ट 41-16) । अत: प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय अपने मद से उपकरण क्रय कर ले एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद से यदि इस मद में अनुदान प्राप्त होता है तो उस मद में इसका समायोजन कर लिया जावेगा । प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय :- प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

बिन्दु क्रमांक (41)-17 विश्वविद्यालय द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में स्पेशल काउंसिल नियुक्त करने पर मानदेय निर्धारित करने संबंधी ।

विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में नगर निगम भोपाल द्वारा विश्वविद्यालय पर लगाये गये सम्पत्ति कर के विरुद्व न्यायालय में प्रकरण दायर कर स्टे प्राप्त किया गया है । समय सीमा को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय ने उक्त कार्य हेतु श्री हेमन्त श्रीवास्तव की सेवायें प्राप्त की गई है जिस कार्य हेतु उन्हें राशि रु0 29005/- भुगतान किया जाना है । स्पेशल काउंसिल हायर करने में सामान्यत: रु0 30000/- से रु0 40000/- का व्यय होता है ।

अत: श्री हेमन्त श्रीवास्तव को न्यायालयीन केस लड़ने हेतु राशि रु0 29005/- का भुगतान स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है तथा भविष्य में स्पेशल काउंसिल की फीस सीमा (सभी खर्चे सहित) रु0 40,000/-प्रस्तावित है ।

निर्णय :- प्रस्ताव अनुमोदित करते हुये स्वीकृति प्रदान की गई तथा विश्वविद्यालय के अधिवक्ता श्री जे0पी0शर्मा की रिटेनरशिप रु0 2000/- से बढ़ाकर रु0 5000/- किया गया ।

बिन्दु क्रमांक (41)-18 मल्टीमीडिया विभाग में पदों का सृजन ।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के वर्ष 2007 में जारी रेगुलेशन, नार्मस एण्ड स्टेंडर्ड के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा बी0एड0 (जनरल एजुकेशन) का संचालन कई वर्षो से किया जा रहा है । पिछले सत्र 2008 में विश्वविद्यालय के बी0एड0 पाठ्यक्रम की सीटे 500 से बढाकर 1000 कर दी गई है । विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र से डी0एड0 एवं एम0एड0 पाठ्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है जिसका एन0सी0टी0ई0 द्वारा इंस्पेक्शन भी किया जा चुका है एवं यह निर्देश दिये गये है कि परिषद के नार्मस के अनुसार विश्वविद्यालय प्राथमिकता के आधार पर स्टाफ की भर्ती करें ।

विश्वविद्यालय के उक्त पाठ्यक्रमों के रिकागनीशन हेतु नार्मस के अनुसार निम्नानुसार स्टाफ की आवश्वयकता होगी ।

S.No.	Name of Programme	Professor	Reader	Lecturer
1.	B.Ed	01	01	04
	B.Ed.	-	01	03

	Additional 1000 seats			
	D.Ed.	01 Director/Head/Principal	02 Reader/Senior Lecturer	05
	M.Ed.	01	01	02 full time or 04 part time
	Total	03	05	14

Non Teaching/Support Staff/Administrative Staff for H.Q.

Software Specialist/Professional	01
Incharge Assessment and Evaluation	01
Computer Operator for maintaining Database	01
Office Assistant	01
Helper for the Dispatch of Study material	01

अत: चूँकि उक्त पदों के सृजन एवं नियुक्ति किये बिना उपर्युक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति एन0सी0टी0ई0 द्वारा नही दी जावेगी । अत: प्रबंध बोर्ड के समक्ष उक्त पदों को सृजित करने की स्वीकृति एवं पद विज्ञापित कर भरने हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है । पदों की योग्यतायें एन0सी0टी0ई0 द्वारा निधारित गाइड लाइन्स के अनुसार होगी । उक्त पद स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत मान्य होगे एवं राज्य शासन पर इसका कोई व्ययभार नही आवेगा ।

स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ।

निर्णय :- प्रस्ताव अनुमोदित करते हुये स्वीकृति प्रदान की गई ।

बिन्दु क्रमांक (41)-19 प्रशासकीय पदों का सृजन ।

विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था में सुधार करने हेतु यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय प्रशासन में कन्वेंशनल विश्वविद्यालयों की भांति प्रशासकीय पद हो जिससे प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा सके । म0प्र0 के विश्वविद्यालयों के सेटअप के अनुसार इस विश्वविद्यालय में भी निम्नलिखित प्रशासकीय पदों को पदों सृजित किया जाना प्रस्तावित है ।

(1)	उपकुलसचिव	-	02
(2)	सहायक कुलसचिव	-	03 (01 पूर्व से स्वीकृत)
(3)	अनुभाग अधिकारी	-	02

अतः उपर्युक्त पद सृजित करने हेतु प्रकरण प्रबंध बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :- प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना करने की मॉग उच्च शिक्षा विभाग से की जाय ।

बिन्दु क्रमांक (38)-20 इंजी पंकज राय, विश्वविद्यालय यंत्री की सेवाओं में 6 माह की वृद्वि करने संबंधी ।

प्रबंध बोर्ड की 38 वी बैठक में इंजी पंकज राय, विश्वविद्यालय यंत्री को विश्वविद्याल परिसर में ई0एम0पी0आर0सी0, वाटर सप्लाई एवं कुछ अधूरे कार्य पूर्ण करने के लिये जून 2009 तक 6-6 माह की तीन बार सेवावृद्वि दी गई थी । विश्वविद्यालय परिसर में अभी भी कई कार्य अधूरे है जिन्हें पूरा होने में लगभग 6 माह का समय और लगने की संभावना है । अतः इंजी पंकज राय की सेवाओं में आगामी 6 माह अर्थात् 30 नवंबर, 2009 तक पूर्व शर्तो पर वृद्वि किया जाना प्रस्तावित है । प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :- पे माइनस पेंशन को ध्यान में रखते हुये फिक्स वेतन रु0 20000/- पर रखा जाय ।

बिन्दु क्रमांक (41)-21 विश्वविद्यालय की सभी प्रकार का शुल्क चालान द्वारा जमा करने की स्वीकृति ।

विश्वविद्यालय को यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों पर प्रवेश फार्म, जिनकी कीमत रुपये 50/- थी, वे रुपये 1,000/- में ब्लैक किए जा रहे हैं। इस बुराई को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि प्रवेश फार्म बैंक में उपलब्ध कराए जाएंगे तथा फीस चालान के माध्यम से बैंक में जमा की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को उचित मूल्य पर आवेदन पत्र उपलब्ध हो सकेंगे तथा विद्यार्थियों का बैंक ड्रॉफ्ट बनवाने में जो धन व्यय होता था, वो बच जाएगा। अंततः विद्यार्थियों को बैंक ड्रॉफ्ट बनवाने बैंक तो जाना ही पड़ता था। इसलिए छात्र हित में यह निर्णय लिया गया कि आवेदन पत्र यूनियन बैंक के माध्यम से बेचे जाएँ तथा शुल्क भी बैंक में जमा कराया जाए।

जबलपुर क्षेत्रीय केन्द्र से यह शिकायत मिली थी कि कुछ केन्द्रों में विगत 8 वर्षों से फार्म की बिक्री की कीमत विश्वविद्यालय में जमा नहीं कराई गई। साथ ही, यह भी पता चला कि कुछ बैंक ड्रॉफ्ट फार्म में ही लगे रह गए, जो तीन वर्ष में तारीख निकल जाने के कारण विश्वविद्यालय के खाते में जमा नहीं हो पाए।

विश्वविद्यालय को हाल ही में यह शिकायत मिली कि यूनियन बैंक की शाखाएँ सब जगह नहीं होने के कारण छात्रों को कठिनाई हो रही है। अतः यह निर्णय लिया गया कि आवेदन पत्रों की बिक्री यूनियन बैंक के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की शाखाओं से भी कराई जावे। इसके बाद भी यदि यह संज्ञान में आता है कि छात्रों को अभी भी असुविधा हो रही है तो अन्य बैंकों की मदद से आवेदन पत्रों की बिक्री की व्यवस्था की जावेगी। क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों को यह आदेश निर्गत किए जा रहे है कि छात्र हित को देखते हुए

क्षेत्रीय निदेशक और समन्वयक स्वयं बैंकों से आवेदन पत्र खरीदकर छात्रों को उपलब्ध कराएँ। इसके लिए यदि आवश्यकता हुई तो अग्रिम राशि भी दी जावेगी, जो आवेदन पत्र बिकने के बाद विश्वविद्यालय को वापस करनी होगी।

विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय की स्वीकृति एवं पुष्टि हेतु प्रकरण प्रबंध बोर्ड के स्वीकारार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :- प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

बिन्दु क्रमांक (41)-22 केन्द्रीय मूल्यांकन में आने वाले परीक्षकों को स्वल्पाहार की व्यवस्था ।

विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार विश्वविद्यालय में मूल्यांकन का कार्य केन्द्रीय मूल्यांकन के तहत् करवाया जा रहा है । केन्द्रीय मूल्यांकन में आने वाले परीक्षकों को काफी समय विश्वविद्यालय में रहकर मूल्यांकन कार्य करना होता है । अन्य विश्वविद्यालयों में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय मूल्यांकन में आने वाले परीक्षकों को स्वल्पाहार की व्यवस्था की जाती है । विश्वविद्यालय में वर्तमान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नही है इसलिये प्रस्तावित है कि केन्द्रीय मूल्यांकन में आने वाले प्रत्येक परीक्षकों को प्रतिदिन राशि रु0 15/- का स्वल्पाहार (चाय, नाश्ता) प्रदान किया जावे ।

प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं स्वीकारार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :- स्वीकृति प्रदान की गई ।

बिन्दु क्रमांक (41)-23 अंकेक्षण रिपोर्ट का पालन प्रतिवेदन ।

विश्वविद्यालय के लेखों का अंकेक्षण म0प्र0 बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 तक किया जा चुका है जिसका पालन प्रतिवेदन परिशिष्ट (41)-28 पर प्रबंध बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :- सूचना ग्रहण करते हुये अनुमोदित किया गया ।

बिन्दु क्रमांक (41)-24 प्रतिनियुक्ति पर स्वीकृत शैक्षणिक पदों का पुन: विज्ञापन कर भरने की कार्यवाही संबंधी ।

विश्वविद्यालय को मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-36-18/97/सी-3/38 दिनांक 8.10.1997 द्वारा प्राध्यापक के 02 पद एवं व्याख्याता के 06 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी साथ ही यह शर्त रखी गई थी कि उक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरा जावेगा । विश्वविद्यालय ने उक्त स्वीकृत पदों में प्राध्यापक के 02 पद विज्ञापित

किये थे जिन्हें अभी भरा नही गया है । अत: प्रस्तावित है कि प्राध्यापक के विज्ञापित 02 पदों का विज्ञापन निरस्त कर प्रतिनियुक्ति पर स्वीकृत उक्त सभी पदों को पुन: विज्ञापित करने की कार्यवाही की जाय ।

प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ एवं स्वीकारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय :- अनुमोदित किया गया ।

बिन्दु क्रमांक (41)-25 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु ।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

1. **अकादमिक कौंसिल के परिनियम में संशोधन करने संबंधी ।**

विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 12 अकादमिक कौंसिल में कुछ बिन्दु अन्य विश्वविद्यालय के अकादमिक कौंसिल के समान सम्मिलित नही किये गये है । अत: उक्त बिन्दुओं को अकादमिक कौंसिल के परिनियम में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है । प्रस्ताव अनुमोदन के उपरांत समन्वय समिति में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा ।

निर्णय :- प्रस्ताव अनुमोदित करते हुये स्वीकृत किया गया ।

2. मास्टर ऑफ एजुकेशन का अध्यादेश अनुमोदन पर विचार ।

विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ एजुकेशन का पाठ्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है जिसका अध्यादेश प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि सदस्य निर्देशक डॉ0 मंजूलिका श्रीवास्तव की अनुशंसा के पश्चात् स्वीकृत माना जावे ।

3. **कुलपति के अधिकार परिनियम क्रमांक 2 की कंडिका 12 के तहत कुलपति द्वारा 3 माह की अवधि हेतु की गई नियुक्तियों का अनुमोदन ।**

विश्वविद्यालय के प्रवेश एवं मूल्यांकन विभाग में केन्द्रीय मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के लिये की गई है ।

1. प्रो0 एस0सी0किलेदार राशि रु0 10000/- प्रतिमाह
2. प्रो0 बनातवाला राशि रु0 10000/- प्रतिमाह

अत: नियुक्तियॉ प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय :- प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । यह नियुक्तियॉ तीन माह बाद नहीं बढ़ाई जायेंगी ।

4. Regulations relating to convocation of Indira Gandhi National Open University shall be adopted by Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal with such restrictions and modifications as is necessary to carry out the object of Statute and Ordinances.

5. समन्वय समिति की 81 वी0 दिनांक 26 जून, 2009 के बिन्दु क्रमांक 19 के निर्णयानुसार प्रबंध बोर्ड के सदस्यों को बैठक का पारिश्रमिक राशि रु0 1000/- प्रति बैठक करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

6. मा0 कुलपति ने अवगत करवाया कि डॉ0 प्रवीण जैन, निदेशक, केमिकल साइंसेस की काफी समय से विभागीय जॉच चल रही है किंतु अभी जॉच का निर्णय नही आया है । डॉ0 प्रवीण जैन को विभागीय जॉच चलते रहने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय में कोई उत्तरदायित्व नही दिया गया है जिस पर कुछ सदस्यों का मत था कि उन्हें उत्तरदायित्व सौंपे जावे । चर्चाउपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावें ।

7. मा0 कुलपति जी ने अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय में कुछ कर्मचारी अनुशासन हीनता कर रहें है एवं विश्वविद्यालय के विरुद्व षणयंत्र पूर्वक कार्यवाही में संलिप्त है । चर्चाउपरांत निर्णय लिया गया कि ऐसे कर्मचारियों के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें ।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

आदेशानुसार

कुलसचिव